

10-5-18 पञ्जावली आज उच्च कोर्ट सीफल में पेठा ही
इजराय की पालका नामा.स. 1726 दिनांक 27¹⁰/₁₇
के द्वारा की जा चुकी है अब इजराय की कोई
पालका अपेक्षित नहीं है। कतः पञ्जावली केवल
अगर दोहर दोहर कर ले तथा दारखिल दफ्तर
हो।

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी (मुन्मुन)

4.5.18

~~वादीगण के कार~~
पगावली डाप के मप कोर्ट कागोरा में पेश हुई।
वादीगण ने लरीये वकील धार्कका पत्र प्रस्तुत कर
निवेदन किया है कि प्रकार में लोक अदालत
की भावना के मध्य मपर डापस में शर्तीनामा
हो-युका है इसलिए वादपत्र को आगे नहीं
—यकाका—चाहते हैं तथा श्वारिण करकाका—चाहते
हैं। वादपत्र इकी स्वर पर श्वारिण किया जाता
है। पगावली ईसल शुमार होकर नम्बर से
काम हो तथा श्वारिण दफ्तर हो।

19
उपखण्ड अधिकारी
जयपुरपुरवादी (कुचुन)